संख्या- 9/2020/92/35-3-2020-1(38)/2017

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 25 फरवरी, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-महराजगंज में शासनादेश सं0-52/2018/145/35-3-2018-1(42)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु **रू. 462.18 लाख** (रू. चार करोड़ बासठ लाख अटठारह हजार) मात्र की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष **रू0 277.31 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय, **राज्यांश के रूप में धनराशि रू. 184.87 लाख** (रू. एक करोड़ चौरासी लाख सत्तासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. मे)

विकास खण्ड का नाम	क्र0 सं0	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि (राज्यांश 40 प्रतिशत)
1	2	**3**	4	5	6
		कार्यदायी संस्था-उ.प्र.राजकीय निर्माण निगम लि.			
निचलौल	1	ठूठीबारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य	462.18	**277.31**	**184.87**
		योग	**462.18**	**277.31**	**184.87**

1- **संदर्भित शासनादेश संख्या-52/2018/145/35-3-2018-1(42)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 की शर्तें यथावत लागू रहेगी ।**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सामुदायिक केन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान सं0-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-1792/दस-2018, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2020/92(1)/35-3-2020-1(38)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
4- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/ द्वतीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
5- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/ द्वतीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- निदेशक,जनशक्ति, नियोजन प्रभाग को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9- कोषाधिकारी, महराजगंज ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/ लोक निर्माण अनुभाग'-9 ।
11- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल।
12- अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
13- राज्य योजना आयोग-।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।